

अकादमी की माननीय शासी परिषद के द्वारा लिये गये निर्णय दिनांकित 08.12.2019 के अनुसार अकादमी परिसर में अवस्थित हॉस्टल/गेस्ट हाऊस, अन्य राज्यों में से केवल उन राज्यों के न्यायिक अधिकारीगण को निर्धारित शुल्क पर प्रदान किया जा सकता है, जिन राज्यों की न्यायिक अकादमियों में ठहरने की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य के न्यायिक अधिकारियों को प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	अध्यासियों की श्रेणी	दैनिक किराया		आवास का विवरण
		उत्तराखण्ड राज्य के न्यायाधीशगण के लिए	अन्य राज्यों के न्यायाधीशगण के लिए	
1.	(क) मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण। (ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीश।	₹750	₹1500	अतिथि गृह प्रति सूइट
2.	(क) मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण। (ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीश। (ग) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त	₹450	₹1500	'सरयू' एक कक्ष
		₹350	₹1200	'गौला' एक कक्ष
		₹250	₹1000	'कोसी' एक कक्ष
3.	आवंटन प्राप्त व्यक्तियों के साथ आने वाले सेवक, चालक व गनर के लिए।	₹30	₹50	डोरमैट्री

नोट:- इस प्रकार वर्तमान में पारस्परिक तौर (Reciprocal basis) पर कुल 7 राज्यों (केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं विहार) के न्यायिक अधिकारियों को ही उपरोक्त शुल्क पर उपलब्धता के आधार प्रदान किया जाता है।

\*\*\*\*\*

## Application Form

1. Name of Applicant .....
2. Designation/Place of posting .....
3. Father's Name of Applicant .....
4. Date of Birth .....
5. Official Address .....
6. E-mail ID ..... Mob. No.....
7. Telephone/ Fax No. ....
8. Photo ID (Judicial Officer ID Attached) .....
9. Date of Arrival ..... Time ..... From .....
10. Date of Departure ..... Time .....Return Place.....
11. Number of Rooms required .....
12. Type of Hostel Room required (KOSI, GOLLA, SARYU).....
13. Details of Vehicles to be used in Academy .....
14. Dormitory facility, if required .....
15. Name, Relation & Details of family members accompanying with applicant –
  - i. ....
  - ii. ....
  - iii. ....
  - iv. ....

**I will maintain the dignity of this training institute. I will not engage in any unwanted activities like drinking/smoking or any other such act inside the Academy premises. In case of violation, I will be liable to pay an amount upto Rs. 5,000/- (five thousand).**

**Signature of Applicant**

Allotment Authority